दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

आज कलेक्टर जनचौपाल स्थगित

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में सप्ताह के प्रति सोमवार को कलेक्टोरेट में कलेक्टर जनचौपाल का आयोजन होता है। कल 11 सितम्बर को होने वाली कलेक्टर जनचौपाल अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की आज अंतिम तारीख

सारंगढ़ बिलाईगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य अवधि सोमवार 11 सितम्बर 2023 को समाप्त हो रहा है। इसलिए निर्वाचन के नियम अनुसार मतदाता से अपील है कि वो मतदाता सूची में नाम जोड़ ले या हटा ले या फिर सुधार करा ले।

निर्वाचन नियमावली के तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज न होने पर नए मतदाता का आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। नाम, स्थान, पता की गलत प्रविष्टि होने पर सुधार करवाया जा सकता है। मतदाता की मृत्यु अथवा स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटवाया जा सकता है। नवीन फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया जा सकता है। आधार नंबर को मतदाता परिचय पत्र के साथ जोड़ा जा सकता है। दिव्यांग मतदाता के रूप में स्वयं को चिन्हित करवाया जा सकता है। 01 अक्टूबर 2023 की स्थिति में यदि 18 वर्ष की आयु पूरी हो रही है तो मतदाता बनने हेतु अपने मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क करें अथवा वोटर हेल्पलाइन एप्प या वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से कोई भी मतदाता ऑनलाइन फार्म 6, 7 और 8 भर सकते हैं।

कलेक्टोरेट सारंगढ़ में स्टेशनरी निविदा 14 सितम्बर को 1 बजे तक होगी जमा

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कार्यालय कलेक्टर और जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अधीन संचालित अन्य शासकीय कार्यालयों के उपयोग के लिए लेखन सामग्री, स्टेशनरी, टोनर कार्टेज आदि क्रय करने हेतु मानक दरों तथा अधिकृत सप्लायर का निर्धारण किये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर सारंगढ़ में 14 सितंबर 2023 के दोपहर 1 बजे तक अधीक्षक कक्ष में निविदा जमा किया जा सकता है और 14 सितंबर 2023 को ही अपरान्ह 3:30 बजे निविदा खोली जाएगी। विस्तृत जानकारी कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ के सूचना पटल से अवलोकन किया जा सकता है।

सारंगढ़ विकासखण्ड में बिहान की महिलाओं ने किए कई मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

सारंगढ़-बिलाईगढ़। सारंगढ़ विकासखंड अंतर्गत स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) की महिलाओं द्वारा कई कार्यक्रम किए गए हैं। इसी क्रम में सारंगढ़ के रीपा- छिंद, रीपा-गोड़म और कोसीर गौठान में बिहान स्टाफ और बिहान संकुल संगठनों - माँ चंद्रहासिनी संकुल संगठन, रोशनी संकुल संगठन और उन्नति संकुल संगठन के कैडर्स द्वारा अलग अलग माध्यमों- मेहंदी, रंगोली, शपथ, रैली, कलश यात्रा के माध्यम से बड़ी संख्या में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम किया गया है।

साइबर सेल और तमनार पुलिस की संयुक्त कार्यवाई में चोरी की 22 दुपहिया के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

❒ रायगढ़, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ समेत सीमावर्ती जिलों में सक्रिय थे दोनों आरोपी, लॉक तोड़कर चुरा ले जाते थे वाहन

रायगढ़। विगत दिनों रायगढ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही लगातार मोटर सायकिल चोरी को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी सदानंद कुमार द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारी एवं सायबर सेल को मोटर सायकल चोरी मे अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी कडी में बीते दिनों टीआई तमनार आशीर्वाद राहटगांवकर को मुखबिर से सूचना मिली कि लोडर ऑपरेटर का कार्य करने वाला भोले शंकर निवासी डबरा मोटरसाइकिल चोरी में सक्रिय है मुखबिर सूचना एसडीओपी धरमजयगढ़ को अवगत कराने पर एसडीओपी धरमजयगढ़/सायबर सेल पर्यवेक्षण अधिकारी दीपक मिश्रा द्वारा सायबर सेल एवं तमनार पुलिस को तस्दीकी हेतु निर्देशित किया गया। सायबर सेल की टीम एवं थाना तमनार स्टाफ द्वारा पिछले माह तमनार में सुरेन्द्र पटनायक निवासी चक्रधरनगर रायगढ़ की चोरी गई मेट्रो स्कुटी के संबंध में संदेही बलदेव दास मंहत निवासी आईटीआई कॉलोनी चक्रधरनगर रायगढ़ को हिरासत में लेकर हिकम्मत अमली से पूछताछ करने पर उसने अपने साथी लोडर आपरेटर भोलेशंकर केंवट निवासी डभरा के साथ मिलकर रायगढ़ शहर , तमनार, घरघोडा , बरमकेला , पूंजीपथरा तथा जिले के बाहर मोटर सायकल/स्कुटी का लॉक तोड़कर वाहनों की चोरी करना बताया। आरोपी बलदेव दास के निशानदेही पर आरोपी भोलेशंकर केंवट को भी थाना तमनार पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर कडाई से पूछताछ किया गया। दोनों आरोपियों के मेमोरेंडम बयान पर कुल 22 नग दुपहिया वाहन कीमती 6,50,000 रूपये का टीम द्वारा बरामद किया गया है। आरोपियों को थाना तमनार के वाहन चोरी के अपराध एवं जप्त अन्य वाहनों के संबंध में पृथक से धारा 41(1+4)CrPC/379 IPC की कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपी - (1) बलदेव दास मंहत पिता मेहत्तर दास मंहत उम्र 20 साल निवासी आईटीआई कालोनी चक्रधरनगर थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ छ0ग0 (2) भोलेशंकर केंवट पिता जीवन प्रसाद केंवट उम्र 29 साल साकिन डभरा थाना डभरा जिला सक्ती छ0ग0

एसडीओपी धरमजयगढ़/ सायबर सेल पर्यवेक्षण अधिकारी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, सउनि. खेमराज पटेल, प्र.आर. संतोष कुर्रे , पारसमणी बेहरा, देवप्रसाद राठिया, आरक्षक पुरूषोत्तम सिदार, नंद कुमार पैकरा , हरीश पटेल, अनुप मिंज, विद्या सिदार, अमरदीप, बंसत, सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल, प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, आरक्षक प्रशांत पण्डा, नवीन शुक्ला, महेश पंडा, विक्रम सिंह, नरेश रजक , प्रताप बेहरा , पुष्पेन्द्र जाटवर की विशेष भूमिका व सराहनीय योगदान रहा।

पुरानी रंजिश पर युवक को कार से कुचलने का प्रयास, घरघोड़ा पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

रायगढ़। थाना घरघोड़ा के ग्राम रायकेरा में रहने वाली महिला द्वारा दिनांक 09/09/2023 को पुरानी रंजिश को लेकर गांव के मदन चौहान और मधुसूदन चौहान द्वारा उसके पति को कार से कुचलकर हत्या करने का प्रयास करने के संबंध में लिखित आवेदन देकर कार्यवाही की मांग किया गया।

महिला बताई की कुछ दिनों पहले गांव के मधुसूदन चौहान, मदन चौहान उनके साथियों के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसे लेकर आरोपी इससे रंजीश रखे हुए थे। रोज की तरह कल 09/09/2023 को दोनों पति-पत्नी अपनी दुकान में बैठे थे। उसी समय मधुसूदन चौहान और मदन चौहान एक मारूति कार सीजी क्र-13 AP 6925 में आए कार से उतर कर दोनों दुकान के सामने आये और थाने में रिपोर्ट को लेकर गाली गलौज कर धमकी दिए और चले गए। दोपहर जब इसका पति स्कूटी से घर खाना खाने आ रहा था। तब दोनों आरोपी पहले से घात लगाये रायकेरा मेन रोड पांझर पुलिया के पास पीछे से मारूती कार क्रमांक CG 13-AP 6925 में स्कुटी को हत्या करने की पूर्ण नियत से ठोकर मारें जिससे स्कुटी चालक युवक के सिर व शरीर में गंभीर चोटें आयी है। महिला बताई कि मारूति कार को आरोपी मधुसुदन चौहान चला रहा था। आहत को उसके परिवार वालों द्वारा रायगढ़ अस्पताल में भर्ती कारण है। आरोपियों द्वारा साजिश कर हत्या की नीयत से अपराध को अंजाम देने संबंधी आवेदन पर आरोपी मधुसुदन चौहानऔर मदन चौहान पर हत्या के प्रयास समेत सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दिया गया जिसमें आरोपी मधुसूदन चौहान पिता ईश्वर चौहान उम्र 28 साल निवासी रायकेरा को हिरासत में लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त क्षतिग्रस्त मारुति कार को जप्त कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, फरार आरोपी की घरघोड़ा पुलिस सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

दो दिवसीय रोजगार मेला आज से, 395 पदों पर होगी भर्ती

❒ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायगढ़ में पूर्वान्हि 11 बजे से होगा साक्षात्कार

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के प्रयासों से जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में 11 एवं 12 सितम्बर को दो दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें करीब 395 पदों पर भर्तियां ली जाएगी। पोर्टल में पूर्व से पंजीकृत अर्हताधारी आवेदक सीधे रोजगार मेले में शामिल हो सकते है।

जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 एवं 12 सितम्बर 2023 को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। जिसमें 11 नियोजकों के माध्यम से लगभग 395 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदक ट्रेड के अनुसार जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायगढ़ में साक्षात्कार के लिए पूर्वान्ह 11 बजे उपस्थित हो सकते है। रोजगार मेला में जिन पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 11 सितम्बर को 106 पदों पर भर्ती की जानी है। जिसमें तकनीकी रिक्तियां एवं अप्रेंटिसशिप शामिल है। जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता आईटीआई, डिप्लोमा, बी.ई.बी.टेक है। इसी तरह 12 सितम्बर को 289 पदों पर भर्ती की जानी है। जिसमें गैर तकनीकी एवं सिक्युरिटी सर्विस से संबंधित रिक्तियां है। जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10 वीं, 12 वीं, स्नातक उत्तीर्ण के साथ कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। आवेदक इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए रायगढ़ रोजगार मितान पोर्टल पर अवलोकन कर सकते है।

चक्रधरनगर पुलिस ने कार से 105 किलो गांजे की तस्करी कर रहे आरोपी को किया गिरफ्तार

❒ आरोपी से 105 किलो गांजा व कार जब्त, उड़ीसा से लाई जा रही थी गांजे की बड़ी खेप

रायगढ़। जिले में व्हीव्हीआईपी आगमन एवं आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले के होटल, ढाबा, लाज में रूकने वालों की सघन जांच तथा सभी चेकपॉइंट्स, बैरियर में कड़ी नाकेबंदी की गई है। वहीं बदमाशों के अवैधानिक गतिविधियों पर निगाह रखने मुखबिरों को सक्रिय कर निगरानी रखी जा रही है जिसमें आज चक्रधरनगर पुलिस को गांजा तस्करी को विफल करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम के हाथ कार में गांजा तस्करी कर रहे आरोपी के कब्जे से 01 क्विंटल, 05 किलो गांजा बरामद हुआ है।

जानकारी के मुताबिक आज दिनांक 10.09.2023 के सुबह थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक उड़ीसा पासिंग होंडा कार में उड़ीसा से रायगढ़ की ओर गांजा लेकर आ रहा है। थाना प्रभारी द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर अपने स्टाफ को अलर्ट कर चेक पॉइंट्स में नाकेबंदी के लिये लगाया गया था। ग्राम नवापाली में नाकेबंदी कर रही पुलिस टीम को देखकर एक संदिग्ध होंडा कार OR BT 9999 का चालक तेज रफ्तार से भागने का प्रयास किया जिसके प्रयास को विफल कर पुलिस टीम ने पकड़ा। कार का चालक पूछताछ में अपना नाम वरुण सिंह पिता रण विजय सिंह उम्र 32 साल निवासी बैकुंठपुर कोरिया बताया जिसे नाकेबंदी के कारणों की जानकारी देकर उसके वाहन की तलाशी लिए जाने पर आरोपी के कर की डिक्की में पेपर लपेट हुआ 20 पैकेट मादक पदार्थ जिसकी पहचान गांजा के रूप में हुई। वजन तौल में कुल 105 किलोग्राम गांजा कीमती 10,50,000 रूपये का पाया गया।

आरोपी वरुण सिंह ने बताया कि 2 साल पहले उसने सेकंड हैंड होण्डा कार क्राय किया था जिसमें गांजा तस्करी का कार्य करता है। आरोपी ने बताया कि वह उड़ीसा के जयपुर से गांजा लेकर पहले बैकुंठपुर, कोरिया, मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में विक्रय किया है, आज भी वह ओड़िसा जयपुर से गांजा लेकर ओड़िसा के रायगड़ा-बलांगीर-संबलपुर-झारसुगुड़ा-कनकपुरा होते रायगढ़ से आगे जाने वाला था और पकड़ा गया।

मीना बाजार देखकर लौट रहे युवकों से मारपीट व लूटपाट : आरोपित तीन युवकों ने प्लान बनाकर दिया था घटना को अंजाम

❒ जूटमिल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटपाट व किडनैपिंग की धाराओं में भेजा जेल

❒ आरोपियों से मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त

रायगढ़। थाना जूटमिल क्षेत्र अंतर्गत संचालित हो रहे मीना बाजार देखकर लौट रहे युवकों से दिनांक 08.09.2023 के रात्रि को जबरन झगड़ा मारपीट कर तीन युवकों द्वारा रुपए की मांग करते हुए एक युवक को गाड़ी में बिठाकर ले जाने और छोड़ने के एवज में रूपयों की मांग किया गया। मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए जूटमिल पुलिस ने अपराध में शामिल तीन बदमाशों को गिरफ्तार गिरफ्तार किया गया जिन्हें किडनैपिंग और लूटपाट की धाराओं में रिमांड में पेश कर जेल भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक कल दिनांक 09.09.2023 को ग्राम अड़बहाल थाना चक्रधरनगर में रहने वाले जयकिशन सिदार पिता रसिक लाल सिदार, उम्र 22 वर्ष द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया की 8 सितंबर की रात्रि अपने मामा स्वाधीन भोई एवं डोलेश्वर सिदार के साथ मीना बाजार देखने बाईक से आया था। वापस घर लौटते समय रात्रि करीब 8 बजे रेल्वे पुल के नीचे एक बाईक में तीन लड़के आये जो हमारे बाइक को एक्सीडेंट कर दिये हो कहकर बेवजह धमकाने चमकाने लगे। उसी समय झगड़ा विवाद में एक लडके ने जयकिशन के पर्स में रखा 220 रूपये लूट लिया और उसके दो अन्य साथी जय किशन के मामा को जबरदस्ती बाईक में बैठाकर ले जाने लगे और पैसा दोगे तभी इसको छोड़ेगें कहते हुए बाइक में बिठाकर भाग गये। कुछ देर बाद उन्हीं लड़कों ने कॉल कर 15,000 रूपये फोन पे करने पर जशकिशन के मामा को छोड़ने की बात बोले। खोजबिन के दौरान जशकिशन का मामा बड़े अतरमुड़ा पुल के पास मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुये थाना जूटमिल में फिरौती की मांग करने वाले मोबाइल धारकों पर अपहरण एवं लूट की धाराओं पर अपराध दर्ज पंजीकृत किया गया आरोपियों के मोबाइल डिटेल्स निकालकर तत्काल टीआई जूटमिल राम किंकर यादव के नेतृत्व में टीम द्वारा दबिश देकर तीनों आरोपी – (1) चंद्रेश चौहान उर्फ नंदी चौहान पिता शौकी लाल चौहान उम्र 24 साल निवासी दर्री तालाब राजीवगांधीनगर थाना जूटमिल रायगढ़ (2) मोहम्मद शब्बीर खान पिता मोहम्मद शगीर खान उम्र 25 साल निवासी पंजरीप्लांट थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ (3) तरुण सिदार पिता सुरेश सिदार उम्र 19 साल निवासी दर्री तालाब राजीव गांधी नगर थाना जूटमिल रायगढ़ को हिरासत में लिया गया। आरोपियों ने एक्सीडेंट करने की बात को लेकर मेला देखने आये युवकों से जबरन झगड़ा विवाद कर रूपये की लूटपाट करने की बात कबूल किया गया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल और उनके मोबाइल की जप्ती की गई है, आरोपियों को आज न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी पार्टी में टीआई राम किंकर यादव के साथ सहायक उप निरीक्षक भागीरथी चौधरी, प्रधान आरक्षक दिलदार कुरैशी, आरक्षक लखेश्वर पुरसेठ, शशिभूषड साहू की अहम भूमिका रही है।

लैलूंगा पुलिस द्वारा साइबर अपराध को लेकर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान

रायगढ़। बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए संपूर्ण रायगढ़ जिला में उप पुलिस महानिरीक्षक रायगढ़ रेंज रायगढ़ राम गोपाल गर्ग के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर साइबर अपराध से बचने हेतु साइबर प्रहरी नाम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी लैलूंगा मोहन भारद्वाज द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन पर आज दिनांक 10.9.2023 को थाना के सामने, जनपद पंचायत एवं स्टेट बैंक के सामने व लैलूंगा पत्थलगांव मेन रोड बाजार चौक के पास बैनर लगाकर लगातार होने वाले साइबर अपराध से बचने के संबंध में लोगों को इसे कैसे बचा जा सकता है और हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए इस संबंध में जागरूक किया गया लोग पुलिस की इस पहल को देखकर रायगढ़ पुलिस व थाना लैलूंगा पुलिस की काफी सराहना किये एवं पुलिस के साथ साथ स्वयं अन्य लोगों को भी जागरूक करने हेतु आश्वासन दिए।

25.92 लाख रुपए की लागत से रामलीला मैदान के होने वाले जीर्णोद्धार कार्यों का हुआ भूमिपूजन

❒ डीएमएफ मद से कलेक्टर सिन्हा ने जारी की है राशि

रायगढ़। महापौर नगर निगम जानकी काटजू के मुख्य आतिथ्य में रामलीला मैदान में निर्माण और विकास कार्य के लिए भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ।

इस दौरान अनुपमा शाखा यादव, अनिल शुक्ला, शाखा यादव, दीपक पांडेय, अशरफ खान, रमेश भगत, संजय चौहान, श्याम साहू, चंद्रशेखर चौधरी, नारायण घोरे, रंजना पटेल, गौतम महापात्रे, रिंकी पांडेय, संजुक्ता सिंह, रिंकू केशरी, राजा शुक्ल, धीरज प्रजापति, शारदा गहलोत, विजेंद्र यादव संतोष निषाद, साकेत पांडेय, नवनिश पांडेय शामिल थे।

शहरवासियों की मांग थी कि रामलीला मैदान का जीर्णोद्धार हो ताकि खेल के लिए उपयुक्त जगह मिले साथ ही मैदान की खूबसुरती भी बनी रहे। जिसके लिए कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने रामलीला मैदान के जीर्णोद्धार व समुचित विकास हेतु डीएमएफ मद से 25.92 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। रामलीला मैदान में पाथवे गैलरी, बाउंड्री, मिट्टी शेड टॉयलेट आदि कार्य होना है। आज भूमिपूजन के उपरांत एमआईसी सदस्य अनुपमा शाखा यादव व लोककर्म विभाग के सदस्य विकास ठेठवार द्वारा फुटबॉल खेल आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी हुआ। इस मौके पर खिलाड़ियों जिन्हें विशेष रूप से सम्मान दिया गया इनमें रज्जन शुक्ला, गोरखनाथ यादव, मुकेश चटर्जी, जेम्स वर्गीस, रवि ठाकुर, सेवा जोगी, आरजू पांडेय, अरुण शाह, वीरेन्द्र पांडेय, संजय ठाकुर, विजय दास शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य राजेश डेनियल ने किया।

नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के राजीनामा के आधार पर हुआ प्रकरणों का निपटारा

रायगढ़। नेशनल लोक अदालत जो वर्चुअल एवं फिजिकल दोनों माध्यमों से जिला न्यायालय रायगढ़ सहित तहसील न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया तथा बिलाईगढ़ एवं भटगांव में आयोजित किया गया।

जिला मुख्यालय रायगढ़ के न्यायालयीन परिसर में जिला न्यायाधीश अरविन्द कुमार सिन्हा के द्वारा सर्वप्रथम दीप प्रज्जवलित कर तथा माता सरस्वती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर नेशनल लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अन्य समस्त न्यायाधीशगण सहित जिला अधिवक्ता संघ से प्रशासक/अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह, अधिवक्तागण तथा राजीनामा हेतु उपस्थित पक्षकारगण, न्यायालयीन एवं विधिक स्टॉफ उपस्थित रहे।

जिला एवं तहसील न्यायालयों को मिलाकर कुल 24 खण्डपीठों का गठन किया गया। श्रम न्यायालय एवं किशोर न्याय बोर्ड का भी खण्डपीठ गठन किया गया। जिला रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ के राजस्व न्यायालयों में भी खण्डपीठों का गठन किया गया।

जिला एवं तहसील न्यायालयों में विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य मामले जैसे-मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक वसूली के प्रकरण, आपराधिक मामले, विद्युत मामले, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, चेक अनादरण, सिविल मामले के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामले, जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल करते हुए खण्डपीठों में लंबित प्रकरण 2971 एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरण 21741 को राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु लोक अदालत में रखा गया।

रखे गये कुल 24712 प्रकरणों में से लंबित 2067 एवं प्रीलिटिगेशन 14350 प्रकरण निराकृत हुये। इस प्रकार कुल 16417 प्रकरणों का निराकरण, जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड, उपभोक्ता फोरम रायगढ़ एवं तहसील स्थित व्यवहार न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया, भटगांव, बिलाईगढ़ न्यायालय में राजीनामा के आधार पर किया गया और उन प्रकरणों के अंतर्गत कुल 3 करोड़ 58 लाख 52 हजार 91 रूपये का सेटलमेंट हुआ।

राजस्व न्यायालयों में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के मामले, वारिसों के मध्य बंटवारे के मामले, कब्जे के आधार पर बंटवारा के मामले, दण्ड प्रक्रिया संहिता 145 के कार्यवाही के मामले, विक्रयपत्र/दानपत्र/वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण के मामले एवं शेष अन्य प्रकृति के कुल 14491 मामले रखे गये जिनमें से 14293 मामलों का निराकरण आज की लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों की गठित खण्डपीठ द्वारा किया गया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480